न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या **89/2022** अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Ac

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
भैराराम पुत्र तगाराम जाति मेघवाल, निवासी बायतु पनजी हाल निवासी फतेहनाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. किरताराम पुत्र आम्बाराम जाति मेघवाल, निवासी बायतु चिमनजी हाल निवासी फतेहनाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. मेराणराम पुत्र हरचन्दराम जाति मेघवाल, निवासी फतेहनाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री देवीलाल कुमावत।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 व 3 :– श्री बालाराम गोदारा।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 19.12.2022

प्रार्थी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि ग्राम फतेहनाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 539/420 रकबा 4.8562 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी भूमि आई हुई है, जिस पर प्रार्थी की रहवासी ढाणी, टांके आदि बने हुए है तथा उक्त भूमि प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि है। प्रार्थी के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 538/420 रकबा 4.8562 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 3 की भूमि खसरा नम्बर 420 रकबा 5.5199 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त तीनों खसरा नम्बर मूल खसरा नम्बर 420 के भाग है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 2 की क्रयशुदा भूमि एवं विप्रार्थी संख्या 3 की पैतृक भूमि है। तब से लेकर पक्षकारान् अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। मौके पर कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा एवं ऑन लाइन तरमीम तहसील के रेकर्ड का कम्प्यूटरीकरण होने पर जो हल्का पटवारी द्वारा की गई है, जो मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत कर दी गई है। उक्त तरमीम राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मौके पर कब्जा काश्त की जांच किये बिना कर दी जाने से प्रार्थी द्वारा तरमीम दुरस्त करवाने का अधिकारी होने से तरमीम दुरस्ती का आवेदन पेश किया गया है। उक्त गलत तरमीम से पक्षकारान् के खेतों में मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में खातेदारान् के मौके पर मालिक कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से [illegible] अधिवक्ता इकबाली जवाब पेश कर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त [illegible] अपनी सहमति प्रदान की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की है साथ ही परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत उक्त खसरा के समस्त खातेदारान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.02.21 11:34:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव (जिला - बाड़मेर)

विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार शिव द्वारा भी जवाब प्रस्तुत कर मौके पर कब्जा काश्त एवं हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश कियें जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता एवं विप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थी द्वारा लट्ठा नक्शा में विवादित आराजी की विद्यमान तरमीम को निरस्त कर मौके पर पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती को उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है तथा विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार शिव द्वारा हल्का पटवारी रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी कीं तरमीम तद्नुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहांजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम फतेहनाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 539/420, 538/420, 420 रकबा क्रमशः 4.8562, 4.8562, 5.5199 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव * जिला-बाड़मेर *

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
शिव (जिला-बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 19.12.2022 को ... सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.02.21 11:34:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
शिव (जिला-बाड़मेर)

नक्शा लट्ठा ट्रेस (प्रस्तावित)

मौजा - फतेहनाडा

तहसील शिव

जिला - बाड़मेर

परिशिष्ट - "ब"

बैनान दस्तावेज अनुसार मौके की स्थिति

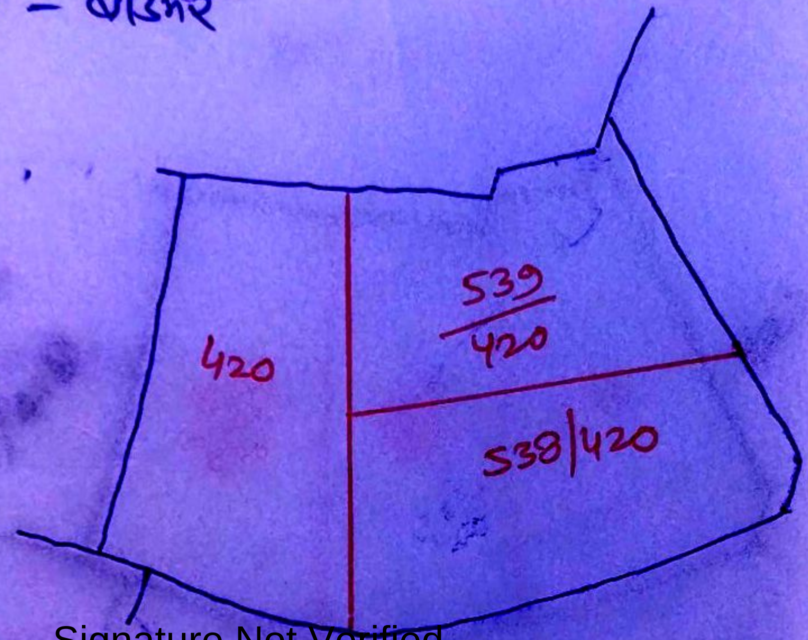

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.02.21 11:34:42 IST
Reason: SelfAttested

मेहाणाराम किरता